भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

<u>राज्य सभा</u>

<u>अतारांकित प्रश्न सं. 1822</u>

(जिसका उत्तर मंगलवार, 14 दिसम्बर, 2021/23 अग्रहायण, 1943 (शक) को दिया जाना है)

पनामा पेपर्स और पैराडाइज पेपर्स में कर अपवंचन

1822 **श्री मल्लिकार्जुन खरगे:**

क्या ***वित्त*** मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि पनामा पेपर्स और पैराडाइज पेपर्स में की गई जांच में 20,352 करोड़ रूप्ए की अघोषित राशि का पता चला है;

(ख) यदि हॉ, तो उसमें से कितना धन देश में वापस लाया गया है;

(ग) उक्त राशि के कर अपवंचन के लिए कितने लोगों पर मुकदमा चलाया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को हाल ही में मीडिया द्वारा प्रकाश में लाई गई पैण्डोरा पेपर्स की जांच से जुड़ी कुल अघोषित धनराशि की जानकारी है; और

(ङ) यदि हॉ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कर अपवंचकों पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) (ख) तथा (ग) दिनांक 01.10.2021 की स्थिति के अनुसार, पनामा तथा पैराडाइज पेपर लीक में 930 भारत संबद्ध मामलों में 20353 करोड़ रूपए की राशि के कुल अप्रकटित क्रेडिटों का पता चला है। आयकर विभाग उन व्यक्तियों के मामले में समुचित कार्रवाइयां करता है जो आयकर अधिनियम, 1961 तथा काला धन (अप्रकटित विदेशी आय तथा आस्ति) तथा कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 आदि जैसे आयकर विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में संलिप्त पाए जाते हैं। प्रत्यक्ष कर कानून के अंतर्गत ऐसी कार्रवाइयों में तलाशी एवं जब्ती, सर्वेक्षण, पूछताछ, आय का निर्धारण तथा पुनर्निधारण, ब्याज सहित करों का उद्ग्रहण, शास्तियों का उदग्रहण, आपराधिक न्यायालयों में अभियोजन शिकायतें दायर करना आदि, जहां कही लागू हों, शामिल हैं। पनामा तथा पैराडाईज पेपर लीक के 52 (बावन) मामलों में काला धन (अप्रकटित विदेशी आय तथा आस्ति) एवं कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के अंतर्गत आपराधिक अभियोजन शिकायतें दायर की गई हैं। इसके अतिरिक्त 130 मामलों में काला धन (अप्रकटित विदेशी आय तथा आस्ति) एवं कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के अतंर्गत कार्यवाहियां शुरू की गई हैं। पनामा तथा पैराडाइज पेपर लीक में अब तक 153.88 करोड़ रूपए की राशि का कर संग्रहण किया गया है।

(घ) तथा (ड.) कुछ भारतीय नाम मीडिया में जारी किए गए हैं जो कथित रूप से पैंडोरा पेपर लीक से जुड़े हुए हैं। भारत सरकार ने इसका संज्ञान लिया है और समन्वित और तात्कालिक जांच के उद्देश्य से पैंडोरा पेपर लीक को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष की संयोजकता के तहत गठित मल्टी एजेंसी ग्रुप (एमएजी) के अंतर्गत लाया गया है तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के भारतीय वित्तीय आसूचना एकक (एफआईयू-भारत) और विदेशी कर एवं कर अनुसंधान अनुभाग इसकी सदस्य एजेंसियों के रूप में जुड़े हैं।

*****